रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238947
CG-DL-E-21092022-238947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
No. 463] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.098.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 210 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम 1 अक्तूबर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 4 में, उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में, "पांच लाख" शब्दों के स्थान पर "दस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (घ) में "पचास लाख" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) बोर्ड को, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इनफॉरमेशन यूटिलिटी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के दस प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय:

परन्तु ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा, किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब पर, संदाय किए जाने तक बारह प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज लगेगा।

दृष्टांत

जहां कोई इनफॉरमेशन यूटिलिटी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 75 करोड़ रुपए की रकम का आवर्त अर्जित करती है वहां वह बोर्ड को 30 अप्रैल, 2023 को या इससे पूर्व 7.50 करोड़ रुपए की फीस का संदाय करने के लिए दायी है।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./284/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 303 में तारीख 14 जून, 2022 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.085, तारीख 14 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2022.

F. No. IBBI/2022-23/GN/REG/098.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 210 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force with effect from 1st October 2022.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 4, in sub-regulation (1) and sub regulation (2), for the words "five lakh", the words "ten lakh" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 6, in sub-regulation (2),

   (a) in clause (d), for the words "fifty lakh", the words "one crore" shall be substituted.

   (b)for clause (e), the following shall be substituted, namely:-

"(e) pay to the Board, a fee calculated at the rate of ten per cent. of the turnover from the services as an information utility rendered in the preceding financial year, on or before 30th April every year:

Provided that without prejudice to any other action which the Board may take as it deems fit, any delay in payment of fee by an information utility shall attract simple interest at the rate of twelve percent per annum.

Illustration

Where an information utility generates turnover amounting to Rs. 75 crore in the financial year 2022-23, it is liable to pay fee of Rs. 7.50 crore to the Board on or before 30th April 2023."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./284/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2022 published *vide* notification No. IBBI/2022-23/GN/REG085, dated the 14th June, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 303 on 14th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.09.21 16:09:35 +05'30'